प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
विशाल काम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
लखनऊ

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. महानिदेशक, न्यूट्रिशन मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, आई0सी0डी0एस0/बेसिक शिक्षा/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी/स्वजल तथा सूडा/महाप्रबन्धक, जल संस्थान, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ।
7. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, परिवार कल्याण/मातृ एवं शिशु कल्याण/आई0ई0सी0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

पत्र संख्या : एस0पी0एम0यू0/नियोजन/7/2014–15/1242-10 दिनांक : 16.6.14

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.05.2014 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2014 को सम्पन्न कार्यकारी समिति की बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अनुपालन आख्या यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीया

16/6

(डॉ0 काजल)
अपर मिशन निदेशक

पत्र संख्या : एस0पी0एम0यू0/नियोजन/7/2014–15/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, उत्तर प्रदेश।
2. सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अधिशासी निदेशक, सिफसा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. परियोजना निदेशक, राज्य एड्स नियंत्रण समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. विशेष सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6. अपर मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वित्त नियंत्रक, एन0आर0एच0एम0।
8. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ।

(डॉ0 काजल)
अपर मिशन निदेशक

Generated by CamScanner from intsig.com

								3 पर अंकित कार्य राज्य बजट से कराया जाना है। सिविल कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू. 2815.91 लाख भारत सरकार द्वारा अवमुक्त किया जा चुका है।	
3	85.3	उपकेन्द्रों का भवन निर्माण	262	10.354	2712.75	2712.75	2712.75	सूची उपलब्ध	निर्माण कार्य प्रक्रिया के अनुसार उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में स्थानांतरित करते हेतु

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता–एन0एच0एम0)

एजेण्डा मद संख्या–19

कार्यकारी समिति द्वारा पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सेलरी स्ट्रक्चर सम्बन्धी प्रस्ताव में इंगित समस्त बिन्दुओं पर चर्चा की गई एवं सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूँकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, अतः उनके द्वारा प्रेषित दिशा–निर्देश को ही क्रियान्वित कराया जाना उचित होगा।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा जनपदों को स्पष्ट निर्देश निर्गत किये जायें कि वर्ष 2013–14 में कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत् संविदा कर्मियों कों वेतन का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या Z.28015/121/2012-TB दिनांक 29.07.2013 में इंगित सेलरी स्ट्रक्चर के अनुरूप ही किया जाये। पत्र में यह भी स्पष्ट किया जाये कि यदि किसी जनपद में किसी संविदा कर्मी को उक्त सेलरी स्ट्रक्चर से अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया है तो उसको समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि का भुगतान कर्मचारी को दिशा–निर्देश प्राप्त करने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से कर दिया जाये।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक–राष्ट्रीय कार्यक्रम)

एजेण्डा मद संख्या–20

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में भारत/प्रदेश से सेवानिवृत्ति उपरान्त संविदा पर कार्यरत अधिकारियों के वेतन का निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 26.04.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार किये जाने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी प्रकार डा0 उत्तम कुमार, सेवानिवृत्त, अपर निदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा स्कूल स्वास्थ्य/अर्श अनुभाग में तकनीकी परामर्शदाता के रूप में दिनांक 09.05.2014 को कार्यभार ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप उनके लिए भी मानदेय के निर्धारण को उक्त नियमानुसार किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही महाप्रबन्धक–हेड क्वार्टर/ऑफीसर ह्यूमन रिसोर्स)

अन्य बिन्दु संख्या–1

वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जनपदों में धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर कार्यकारी समिति द्वारा राज्य क्षय रोग अधिकारी से प्रस्ताव के औचित्य के बारे में पूछा गया। राज्य क्षय रोग अधिकारी द्वारा अवगत कराया

Generated by CamScanner from intsig.com